रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 1979/फाल्गुन 24, 1900
No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1979/PHALGUNA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

आदेश

का० आ० 136 (अ)/18 एफ० बी० /आई० डी० आर० ए०/79.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 190(ई०)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 21 मार्च, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चच की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व के प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनमें भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स नैशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड कलकत्ता या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 20 मार्च, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिये।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चच की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश की अवधि 20 मार्च, 1980 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 2/44/77-सी० यू०सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 15th March, 1979

ORDERS

S.O. 136(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 190(E)/18FB/IDRA/78 dated the 21st March, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta or the company owing such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising the reunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 20th March, 1980;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 20th March, 1980.

[File No. 2/44/77-CUC]

का० आ० 137 (अ)/18ई०/आई० डी० आर० ए०/79.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 852 (अ०सा०) /18क/आई० डी० आर० ए०/77 तारीख 23 दिसम्बर, 1977 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को मैसर्स नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है, का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18 क के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाओं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे ।
1	2
धारा 198	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 268	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होंगे।
धारा 269	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होंगे।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होंगे।
धारा 309	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 310	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फा० 2/44/77-सी० यू०सी०]

S.O. 137(E)/18E/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 852(E)/18AA/IDRA/77 dated the 23rd December, 1977, issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Body of Persons to take over the management of Messrs. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 198	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 268	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 269	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 309	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 310	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

[File No. 2/44/77—CUC]

का० आ० 138 (अ)/18 एफ० डी०/आई० डी० आर० ए०/79.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 455(अ सा०)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 31 अगस्त, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्र, करार, समझौते, पंचाट, या अन्य लिखत का जिनका/जिसका मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम को लागू हों या हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1978 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1979 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिये ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1979 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[सं० फा० 1/92/71-सी०यू०सी०]

S.O. 138(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 455(E)/18FB/IDRA/73, dated the 31st August, 1973

(hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any) of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And whereas the duration of the said Order was extended upto the 30th August, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 30th August, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th August, 1979.

[File No. 1/92/71-CUC]

का० आ० 139(अ):—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 405 (अ) तारीख 20 जून, 1977 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 375(अ) तारीख 22 जुलाई, 1975 द्वारा, व्यक्तियों के एक निकाय को, ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है :

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ० की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों, और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18 कक के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए, स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166 धारा 210(1)	इन धाराओं के उपबन्ध इस सीमा तक लागू नहीं होंगे कि औद्योगिक उपक्रम का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखे को वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता नहीं है । औद्योगिक उपक्रम प्रारंभिक रूप से तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा तैयार करेगा और अपनी कानूनी विवरणियां और तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा कंपनियों के रजिस्ट्रार को फाइल करेगा । इस छूट का प्रभाव कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 159(1) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा
धारा 169 धारा 217 धारा 219 धारा 224 धारा 225 धारा 293	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे । इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे, किन्तु यह तब जब कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए । इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[फा० सं० 4/3/75-सी०यू०सी०]

S.O.139(E):—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 375(E) dated the 22nd July 1975, issued under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 405(E) dated the 20th, June 1977 issued under sub-section (2) of the said section 18AA, the Central Government have authorised a body of persons to take over the management of the whole of the Industrial under taking known as Gluconate Limited, Calcutta, for the period specified therein:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Com panies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the Indus trial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provision mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166 Section 210 (1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the industrial undertaking need not be placed before the Annual General Meeting. The industrial undertaking will have to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual and shall file its statutory returns and balance sheet and profit and loss account with the Registrar of Companies. The exemption does not affect the provisions of the Section 159(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
Section 169 Section 217 Section 219 Section 224 Section 225 Section 293	Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking. Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Central Government. Provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[FILE No. 4/3/75—CUC]

का०आ० 140 (अ)/18ई०/आई०डी०आर०ए०/79—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 85 (असा०) 18क/आई०डी०आर०ए०/78 तारीख 10 फरवरी 1978 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को मैसर्स नैशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (कल्याणी एकक), कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अधीन रहते हुये कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे ।
1	2
धारा 198	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 268	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 269	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 309	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 310	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फा० 2/1/78-सी०यू०सी०]

S.O.140(E)/18E/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O.85(E)/18A/IDRA/78 dated the 10th February, 1978, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Body of Persons to take over the management of Messrs. National Rubber Manufacturers Limited (Kalyani unit), Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 198	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 268	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 269	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 309	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 310	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

[FILE No. 2/1/78-CUC]

का०आ०.—141 (अ)/18ई०/आई०डी०आर०ए०/79—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं०का०आ० 266(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/78 तारीख 13 अप्रैल 1978 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को मैसर्स इंजेक रायर्स लिमिटेड कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे ।
1	2
धारा 198	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 268	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 269	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 309	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 310	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फा० 2/24/76-सी०यू०सी०]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

S.O.—141(E)/18E/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78 dated the 13th April, 1978, issued under secton 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorise a Body of Persons to take over the Management of Messrs. Inchek Tyres Limited Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial under taking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 198	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 268	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 269	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 309	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 310	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

[FILE NO. 2/24/76-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979